08.02.22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अपीलांटगण के अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर स्वपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलांटगण के अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। दावे के नोटिस प्रतिवादीगण को जिम्मेवारित है जिसकी फोटो प्रति पेश की गई। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु अपीलांटगण के पक्ष

जिला अपील अधिकारी
बाड़मेर

में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार करमाया जावे।

अपीलांटगण के अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर उभयपक्षीय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। एक अधिवक्ता द्वारा की गई गलती की सजा पक्षकार को देना न्यायोचित नहीं है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्दबुर्द किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा मौजा गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 155 रकबा 69.16 बीघा के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय आदेश 39 cpc की पालना करते हुए हस्तगत आवेदन को उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए आगामी दो माह में विधि अनुसार आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर